सत्र प्रकरण कमांक–132 / 2021
C.I.S.No.-CGDA01-000488-2021

न्यायालय :– द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा (छ.ग.)	
(पीठासीन अधिकारी :– दीपक कुमार देशलहरे)	
निर्णय दिनांक :– 29.07.2022 **सत्र प्रकरण कमांक :–132 / 2021** **सी.आई.एस.नं. :–CGDA01-000488-2021** **थानाः–गीदम, अपराध कमांक :–43 / 2021** **संस्थित दिनांक :– 23.06.2021**	
अभियोजन :–	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र :– गीदम जिला :– दंतेवाड़ा (छ.ग.)
शासन की ओर से अभिभाषक :–	श्रीमती ममता शर्मा, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त :–	हेमला मुन्ना उर्फ मुन्ना राम कश्यप पिता पंडरू हेमला, उम्र 23 वर्ष, निवासी–पुलादी स्कूलपारा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर (छ.ग.)
बचाव अधिवक्ता :–	श्री अशोक जैन

———————————————————————————————

श्रीमती श्यामवती मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक–88 / 2021 (छ.ग. राज्य विरूद्ध हेमला मुन्ना उर्फ मुन्ना) में पारित उपार्पण आदेश दिनांक–21.06.2021 से उद्भुत सत्र प्रकरण।

———————————————————————————————

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 29.07.2022 को घोषित)

01– अभियुक्त हेमला मुन्ना उर्फ मुन्ना के विरूद्ध धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत् आरोप है कि, उसने दिनांक 05.04.2021 को समय लगभग 15:35 बजे, स्थान थाना गीदम से पश्चिम 25 किलोमीटर दूर, ग्राम गुमलनार, मुस्तलनार के बीच जंगल में, अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अधीन विस्फोटक पदार्थ, एक नग स्टील टिफिन बम जिसमें सफेद–गुलाबी रंग का वायर लगा हुआ काले रंग के सेलोटेप से चारो तरफ बंद टिफिन के ढक्कन से वायर निकला हुआ को विस्फोट कारित करने के प्रयत्न करने के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विधि विरूद्ध रूप से और विद्वेषतः रखा हुआ था तथा विस्फोटक पदार्थ में प्रयुक्त किये जाने वाली सामाग्री, एक नग काले रंग की चौकोर बैटरी को ऐसी परिस्थितियों में रखा, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि उसे विधि पूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं रखा था।

02– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रार्थी उपनिरीक्षक कुमार चंदन सिंह को दिनांक 05.04.2021 को मुखबिर के जरिये सूचना मिला कि, एक अज्ञात व्यक्ति जिसके पास थैला में टिफिन बम जैसा सामान है, जिस पर बिजली वायर तथा टेप रखा है तथा गुमलनार, मुस्तलनार के बीच रोड़ किनारे जंगल में घुमते हुए देखा गया है जो कोई अप्रिय घटना कारित कर सकता है की सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत

कराकर निर्देश प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ सूचना तस्दीक आवश्यक कार्यवाही हेतु गुमलनार, मुस्तलनार की ओर रवाना हुआ। सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे तब देखा कि, मुस्तलनार जाने वाले रोड़ पर पुलिस को देखकर एक व्यक्ति जंगल का आड़ लेकर छिपते हुए भागने लगा, पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम हेमला मुन्ना बताया और प्लाटून 16 का कमांडर मल्लेश, लक्ष्मण मण्डावी के कहने पर मुस्तलनार—गुमलनार के सड़क में गड्ढा खोदकर बम लगाने के आदेश पर काम करना तथा वर्ष 2016 से प्लाटून नंबर—16 के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करना बताया। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नग टिफिन बम, एक नग बैटरी व सफेद—गुलाबी रंग का वायर प्लास्टिक थैला से निकालकर दिखाया, जिसे मौके पर जप्त किया गया।

उक्त घटना के संबंध में, प्रार्थी कुमार चंदन सिंह के देहाती नालसी प्र.पी.—04 के आधार पर थाना गीदम में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—06 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र. पी.—05 तैयार कर, गवाहों का बयान लेखबद्ध किया गया। हल्का पटवारी से घटना स्थल का नजरी नक्शा एवं पंचनामा प्राप्त किया गया। अभियुक्त हेमला मुन्ना को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.—01 लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त

के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उससे एक स्टील टिफिन बम, एक नग काले रंग की चौकोर बैटरी, एक नग बांस का बनाया हुआ ऑन–ऑफ को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.–02 तैयार किया गया। जप्तशुदा विस्फोटक पदार्थ को बी.डी.एस. प्रभारी दंतेवाड़ा से निष्क्रिय कराया जाकर, निष्क्रिय किये गये स्थान का सादी मिट्टी 05 कि.ग्रा. एवं बारूदी मिट्टी 05 कि.ग्रा. को आरक्षक रामचंद्र कंवर द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.–09 तैयार किया गया। अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र.पी.–03 तैयार कर उसके गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया था। तत्पश्चात् जप्तशुदा मिट्टी को रासायनिक परीक्षण के लिए क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर भेजा गया। जिला दण्डाधिकारी दंतेवाड़ा से अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.–12 प्राप्त होने के पश्चात् शेष अन्वेषण उपरांत इस घटना को कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता पाई गई, उसके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) के न्यायालय में पेश किया गया, जो उसके द्वारा पारित उपार्पण आदेश दिनांक 21.06.2021 के अनुसार, माननीय सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) को उपार्पित किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) के आदेशानुसार प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

03– अभियुक्त के विरूद्ध धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत् आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने कथित जुर्म करना अस्वीकार किया है एवं विचारण का दावा किया है।

04– धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् इस अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना कहा है। बचाव में अभियुक्त की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

05– अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से गवाह संदीप पन्ना (अ.सा.–01), जे.आर. बघेल (अ.सा.–02), कुमार चंदन सिंह (अ.सा.–03), जुगलाल नेताम (अ.सा.–04) का परीक्षण कराया गया है।

06– **प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:–**

(1) क्या, अभियुक्त, दिनांक 05.04.2021 को समय लगभग 15:35 बजे, स्थान थाना गीदम से पश्चिम 25 किलोमीटर दूर, ग्राम गुमलनार, मुस्तलनार के बीच जंगल में, अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अध ीन विस्फोटक पदार्थ, एक नग स्टील टिफिन बम जिसमें सफेद–गुलाबी रंग का वायर लगा हुआ काले रंग के सेलोटेप से चारो तरफ बंद टिफिन के ढक्कन से वायर निकला हुआ को विस्फोट कारित करने के

प्रयत्न करने के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विधि विरूद्ध रूप से और विद्वेषतः रखा हुआ था ?

(02.) क्या, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर, अभियुक्त ने विस्फोटक पदार्थ में प्रयुक्त किये जाने वाली सामाग्री, एक नग काले रंग की चौकोर बैटरी को ऐसी परिस्थितियों में रखा, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि आप उसे विधि पूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं रखा था ?

विवेचना एवं निष्कर्षः—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 पर निष्कर्षः—

07— उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक ही घटना से संबंधित है, अतः सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य विश्लेषण की पुनर्रावृत्ति से बचने के लिए इन विचारणीय प्रश्नों के सबंध में अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

08— अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया है कि, प्रकरण के हमराह स्टॉफ पुलिस कर्मचारियों एवं हितबद्ध पुलिस साक्षी एवं स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित किया है। अतः

अभियुक्त को कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

जबकि, अभियुक्त की ओर से बचाव पक्ष का यह तर्क एवं प्रतिरक्षा रहा है कि, अभियोजन/पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही थाना में बैठकर किया गया है। अभियोजन के हितबद्ध पुलिस साक्षी एवं स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा, विवेचना अधिकारी के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। विस्फोटक प्रदार्थ की जप्ती, अभियुक्त से होना प्रमाणित नहीं हुआ है। इस तरह अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे। बचाव पक्ष के उक्त तर्क एवं प्रतिरक्षा के संभाव्यता के संबंध में, आगे अभिलेख में आए साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

09— प्रार्थी कुमार चंदन सिंह उपनिरीक्षक (अ.सा.—03) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, वह अभियुक्त को पहचानता है। दिनांक 05.04.2021 को मुखबिर से सूचना मिला कि, गुमलनार,, मुस्तलनार के बीच जंगल में एक संदिग्ध व्यक्ति घ ुम रहा है, उक्त सूचना की तस्दीक के लिए वह थाना के हमराह स्टाफ के साथ मोटरसायकल में रवाना हआ था। दोपहर के लगभग 03:30 बजे के आसपास गुमलनार, मुस्तलनार के जंगल में आरोपी हेमला मुन्ना दिखा जो पुलिस पार्टी को देखकर छुपने लगा, तब वे लोग घेराबंदी कर उसे पकड़े, अभियुक्त हेमला मुन्ना अपने पास एक झोला रखा था, जिसमें एक टिफिन बम, बांस का

स्वीच, एक बैटरी और वायर रखा हुआ थाा, पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि, वह रोड़ में बम लगाने के लिए यहां पर आया था। उसके बाद वह मौके पर ही घटना के संबंध में देहाती नालसी प्र.पी.–04 कायम किया था। देहाती नालसी कायमी के बाद अभियुक्त से बरामद सामान को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.–02 तैयार किया था।

10– प्रार्थी कुमार चंदन सिंह उपनिरीक्षक (अ.सा.–03) का आगे यह भी कथन रहा है कि, घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.–05 तैयार किया था। वापस थाना आकर घटना के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–06 दर्ज कर गवाह संदीप पन्ना, जुगलाल नेताम, जे.आर. बघेल का कथन दर्ज किया था। घटना स्थल पर ही वह अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया था, मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.–01 है, थाना में अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.–03 तैयार किया था, गिरफ्तारी पश्चात गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया था।

11– प्रार्थी कुमार चंदन सिंह उपनिरीक्षक (अ.सा.–03) का आगे यह भी कथन रहा है कि, बरामद विस्फोटक सामान को निष्क्रिय किये जाने की अनुमति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा

से प्राप्त उक्त विस्फोटक सामान को बी.डी.एस. टीम से निष्क्रिय कराये जाने के लिए आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय दंतेवाड़ा को लिखा था जो प्र.पी.—08 है। जिस स्थान पर विस्फोटक सामान को निष्क्रिय किया गया था, उस स्थान का पांच किलोग्राम बारूदी मिट्टी और पांच किलोग्राम सादी मिट्टी आरक्षक रामचन्द्र कंवर के द्वारा पेश किये जाने पर उसे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.—09 तैयार किया था। जप्तशुदा प्रदर्शों को पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए क्षेत्रीय न्यायलयीक विधि विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर प्रेषित किया गया था, जो प्र.पी.—10 है एवं प्रदर्श पावती रसीद प्र.पी. 11 है। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के माध्यम से प्रकरण की केस डायरी अभियोजन स्वीकृति बाबत् जिला दंडाधिकारी दंतेवाड़ा को प्रेषित किया गया था। जिला दंडाधिकारी के द्वारा प्रदाय किया गया अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र.पी.—12 है। हल्का पटवारी से नजरी नक्शा प्राप्त करने बाबत् तहसीलदार गीदम को तहरीर प्र.पी.—13 प्रेषित किया था।

12— जे.आर. बघेल सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.—02) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, वह अभियुक्त को पहचानता है। घटना 05.04.2021 का है, घटना के दिन थाना गीदम से पेट्रोलिंग पार्टी मोटरसायकल से गुमलनार, मुस्तलनार की ओर गश्त के लिए रवाना हुई थी। गुमलनार, मुस्तलनार के बीच जंगल में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जो पुलिस पार्टी को

देखकर छिपकर भागने लगा, तब वे लोग घेराबंदी कर उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़े थे। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हेमला मुन्ना होना बताया था और यह भी बताया था कि, वह पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए रोड़ में बम लगाने के लिए आया था, उसके पास एक टिफिन बम, बैटरी, वायर, बांस का बना स्वीच ऑफ ऑन बरामद हुआ था। मौके पर ही बरामद सामान का जप्ती बनाया गया, उसके बाद अभियुक्त और उससे बरामद सामान को लेकर वापस थाना आ गये, घटना के संबंध में उसका बयान दर्ज हुआ था।

13– संदीप पन्ना आरक्षक (अ.सा.–01) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, वह अभियुक्त को पहचानता है। घटना वर्ष 2021 का है, थाना गीदम में पदस्थ उपनिरीक्षक कुमार चंदन साहब को मुखबिर के जरिये, गुमलनार की तरफ से कुछ नक्सलियों के उपस्थित रहने की सूचना मिला था, मुखबिर के सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक कुमार चंदन साहब के साथ थाना गीदम से लगभग 10 का बल लेकर मुखबिर के बताये गये स्थान ग्राम गुमलनार की ओर सर्चिंग के लिए रवाना हुए थे।

14– संदीप पन्ना आरक्षक (अ.सा.–01) का आगे यह भी कथन रहा है कि, ग्राम गुमलनार पहुंचने पर जंगल के पास एक व्यक्ति उन लोगों को देखकर भागने लगा जिसे वे लोग घेराबंदी कर पकड़े थे। वह संदिग्ध व्यक्ति एक थैला पकड़ा हुआ था,

उसको चेक करने पर उसमें से एक टिफिन बम बरामद हुआ था। मौके पर ही कुमार चंदन साहब पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ किये तब उसने अपना नाम हेमला मुन्ना होना बताया था। उसके बाद पकड़े गये व्यक्ति एवं उससे बरामद सामान को लेकर थाना आ गये। मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.–01 के अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है, जप्ती पत्रक प्र.पी.–02 के अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। थाना में लाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किये थे, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 03 है। घटना के संबंध में पुलिस वाले उसका बयान लिये थे।

15– जुगलाल नेताम आरक्षक (अ.सा.–04) के कथनानुसार, वह अभियुक्त को नहीं पहचानता है, वह थाना गीदम में पदस्थ उपनिरीक्षक कुमार चंदन साहब को जानता है। वह उनके साथ कभी भी गुमलनार गांव की ओर सर्चिंग करने के लिए नहीं गया था। सर्चिंग के दौरान उसने तथा उसके बल के बाकी सदस्यों ने गुमलनार–मुस्तलनार के जंगल से किसी को पकड़कर नहीं लाये थे और न ही लाये हुए व्यक्ति से पूछताछ कर सामान जप्त किये थे। इस साक्षी ने प्रकटीकरण कथन प्र.पी.–01 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.–02 के अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने के बावजूद उसके परीक्षण में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है।

16— प्रार्थी कुमार चंदन सिंह उपनिरीक्षक (अ.सा.—03) के कथनानुसार, वह घटना के दिन मुखबिर से सूचना मिलने पर घटना स्थल जाकर देखा कि, बीच जंगल में एक संदिग्ध व्यक्ति घुम रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़े थे, जिसके पास से टिफिन बम, बांस का स्वीच, एक बैटरी और वायर बरामद किया था तथा अभियुक्त से पूछताछ किया था, तब अभियुक्त ने बताया है कि, वह रोड़ में बम लगाने के लिए वहां पर आया था, तब उसने अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.—01 लेखबद्ध किया था और उससे बरामद सामान को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.—02 तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, जब कभी वे लोग नक्सली सर्चिंग ऑपरेशन में गांव की ओर रवाना होते हैं तब इस बारे में थाने में रोजनामचा दर्ज किया जाता है और वापसी के पश्चात् आमद रोजनामचा सान्हा दर्ज किया जाता है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा की कोई प्रतिलिपि उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना पत्र प्र.पी.—06 के कंडिका 03(स) में रोजनामचा सान्हा का उल्लेख करने के लिए स्थान बना हुआ है, लेकिन उस स्थान में भी सान्हा का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि इस साक्षी ने मुखबिर सूचना के आधार पर घटना स्थल गया था तो इस संबंध में उसे रवानगी एवं आमद का रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाना

चाहिए था किन्तु इस संबंध में उसके द्वारा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि, उसे मुखबिर से सूचना मिला था और वह घटना स्थल पर गया था।

17— प्रार्थी कुमार चंदन सिंह उपनिरीक्षक (अ.सा.—03) के कथनानुसार कि, अभियुक्त से उसने साक्षियों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.—01 लेखबद्ध किया था और उससे बरामद सामान को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.—02 तैयार किया था। जबकि, प्रकरण में संदीप पन्ना (अ.सा.—01) एवं जुगलाल नेताम (अ.सा.—04) को अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन एवं जप्ती का साक्षी होना बताया गया है। किन्तु साक्षी संदीप पन्ना ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 07 में बताया है कि, मौके पर ही कुमार चंदन साहब ने पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ किया था तब उसने अपना नाम हेमला मुन्ना होना बताया था। इसके अलावा और क्या बताया था उसे नहीं मालूम। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि, प्र.पी.—01 से प्र.पी.—03 पर वह आरोपी को थाने में लाने के दूसरे दिन हस्ताक्षर किया था किन्तु उक्त दस्तावेज उसके समक्ष नहीं लिखा गया था कब लिखा गया उसे नहीं मालूम तथा उस दस्तावेज में क्या लिखा था वह नहीं बता सकता। जुगलाल नेताम (अ.सा.—04) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि, वह उपनिरीक्षक कुमार चंदन साहब को

जानता है। सर्चिंग के दौरान वह तथा उसके बल के बाकी सदस्यों ने गुमलनार–मुस्तलनार के जंगल से किसी को पकड़कर नहीं लाये थे और न ही ऐसे लाये गये व्यक्ति से पूछताछ कर सामान जप्त किये थे इस साक्षी ने प्रकटीकरण कथन प्र.पी.–01 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.–02 पर मात्र अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है इस प्रकार से इन साक्षियों के कथन से अभियुक्त द्वारा दिये गये मेमोरेण्डम कथन एवं उसके बताये अनुसार किसी भी संपत्ति को जप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार से प्रार्थी के कथनों का समर्थन इन साक्षियों ने मौके से वस्तु की बरामदगी का समर्थन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में घटना के समय आरोपी के कब्जे से विस्फोटक सामाग्री बरामद किये जाने की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

18– उपरोक्तानुसार प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से कोई विस्फोटक सामाग्री जप्त किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। इस प्रकार यहां अभियोजन की ओर से इस अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संबंध में जिन साक्षियों का कथन कराया गया है, उनमें से किसी के भी कथन में ऐसा कोई तथ्य विश्वास किए जाने योग्य नहीं आया है, जिससे कि, कथित अपराध को कारित करने में अभियुक्त की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता रही हो। ऐसी स्थिति में इस अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होना पाया जाता है।

19– उपरोक्त विवेचना का सार यह है कि अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के द्वारा, इस बिन्दु पर अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है कि, घटना में अभियुक्त शामिल था या उस दल का सदस्य था, जिसने घटना कारित किया था तथा पेश साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि, घटना में इस अभियुक्त के शामिल होने बाबत् प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है। अतः इस अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से हर संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। फलतः इस अभियुक्त को धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

20– अभियुक्त के द्वारा धारा 437 (ए) दं.प्र.स. के तहत निष्पादित बंधपत्र, इस निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

21– अभियुक्त, न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतित अवधि का निरोध अवधि प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

22– प्रकरण में जप्त संपत्ति एक नग स्टील टिफिन बम जिससे सफेद गुलाबी रंग का वायर लगा हुआ काले रंग की सेलोटेप से चारो तरफ बंद टिफिन के ढक्कन से वायर निकला हुआ, एक नग काले रंग की चौकोर बैटरी, एक नग बांस का बनाया हुआ ऑन–ऑफ, निष्क्रिय किये गये स्थान का विस्फोटक

पदार्थों के अवशेष सहित 05 किलोग्राम बारूदी मिट्टी, एवं निष्क्रिय किये गये स्थान से 10 मीटर की दूरी से सादी मिट्टी 05 किलोग्राम के विधिवत् निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने पर जिला दंडाधिकारी दंतेवाड़ा को प्रेषित किया जावे अपील होने पर उक्त संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

23– इस प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसका रिहाई आदेश इस निर्देश के साथ जारी हो कि, अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो इस प्रकरण से उसे अविलंब रिहा किया जावे।

24– निर्णय की एक प्रति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–365 के तहत् विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।

स्थान–दंतेवाड़ा,

दिनांक–29.07.2022 निर्णय मेरे निर्देश पर टंकित।

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE

Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.07.29 05:15:49 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

निरोध अवधि का प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर हैः–

सत्र प्रकरण कमांक–132/2021
C.I.S.No.-CGDA01-000488-2021

–: निरोध अवधि का प्रमाण पत्र :–

(अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं.)

क्र.	पक्षकार का नाम एवं प्रकरण क्रमांक	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त को बंदी बनाए जाने का दिनांक	न्यायिक निरोध की अवधि	अभियुक्त के न्यायिक निरोध की अवधि को उसके मूल सजा अवधि में मुजरा की जानी है
01	शासन बनाम हेमला मुन्ना उर्फ मुन्ना प्रकरण कमांक–132/2021	हेमला मुन्ना उर्फ मुन्ना राम कश्यप पिता पंडरू हेमला, उम्र 23 वर्ष, निवासी–पुलादी स्कूलपारा, थाना मिरतुर, जिला बीजापुर (छ.ग.)	05.04.2021	05.04.2021 से 29.07.2022 तक कुल 01 वर्ष, 03 माह, 24 दिन	निरंक (अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है।)

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.07.29 05:15:58 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

सत्र प्रकरण क्रमांक—132/2021
C.I.S.No.-CGDA01-000488-2021

Index

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgement	01
2	Appearance of Advocate	01
3	Charge	5
4	Admitted Facts	—
5	Prosecution Strory	02 से 04
6	Reasons and findings	05 से 15
7	sentence	—
8	Period of Detention & Set-Off	15
9	Disposal of Property	15 से 16
10	Order of Commpensation	—
11	Certificate under section 428 Crpc	17
12	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of Fine)	—
13	Copy of Judgement	01 से 17

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.07.29 05:16:08 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला—दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

सत्र प्रकरण कमांक–132/2021
C.I.S.No.-CGDA01-000488-2021

Date of offence	दिनांक 05.04.2021 को समय 15:35 बजे
Date of FIR	05.04.2021
Date of Charge sheet	07.06.2021
Date of farming of charges	18.08.2021
Date of commencement of Evidence	18.10.2021
Date on which judgement is reserved	29.07.2022
Date of the judgement	29.07.2022
Date of the Sentencing Order, if any	निरंक

Accused Details

Rank of the Accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentenc imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.p.c.
01	हेमला मुन्ना उर्फ मुन्ना राम कश्यप पिता पंडरू हेमला	05.04.2021	अभिरक्षा में है	04, 05 वि.प.अधि.	दोषमुक्त	निरंक	05.04.2021 से 29.07. 2022 तक कुल 01 वर्ष, 03 माह, 24 दिन

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.07.29 05:16:26 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)